# छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

क्रमांक / 2516 / 27 / विज्ञापन / 2019 रायपुर, दिनांक 01@02@2019

## :: lgk;d ik/;kid ¼mPp f'k{kk foHkkx½ & 2019 'kqf) i= ::

## :: 'kqf) i= Øekad 04@2019@ijh{kk@fnukad 01@02@2019 ::

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत ''सहायक प्राध्यापक (विभिन्न विषयों)'' के 1384 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 02 / 2019 / परीक्षा / दिनांक 18 / 01 / 2019 जारी किया गया है।

**(2)** छत्तीसगढ़ शासन, सामानय प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2 / 2015 / 1–3 दिनांक 30.01.2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है।

**(3)** सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त परिपत्र के अनुसार आयोग द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक 02 / 2019 / परीक्षा / दिनांक 18 / 01 / 2019 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

**(i)** विज्ञापन की ''कंडिका (4) निर्धारित आयु सीमा में,

''..... परन्तु छत्तीसगढ़ के स्थानीय / मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 35 वर्ष होगी।'' के स्थान पर,

^^----- ijUrq NRrhlx<+ ds LFkkuh;@ewy fuoklh vH;fFkZ;ksa ds fy, mPprj vk;q lhek 30 o"kZ ds LFkku ij 40 o"kZ gksxhA** संशोधित किया जाता है।

**(ii)** विज्ञापन की ''कंडिका (4)(**xii**) के उपरान्त ''महत्वपूर्ण टीप (**i**)'' को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

''egRoiw.kZ Vhi **(i):–** छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2 / 2002 / 1–3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3–2 / 2015 / 1–3 नया रायपुर, दिनांक 30.01.2019 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परन्तु अन्य विशेष वर्ग जैसे–छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**(iii)** उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन fnukad 11@02@2019 e/;kUg 12%00 cts ls fnukad 12@03@2019 jkf= 11%59 cts rd तथा त्रुटि सुधार fnukad 15@03@2019 e/;kUg 12%00 cts ls fnukad 21@03@2019 jkf= 11%59 cts rd कर सकते हैं।

**(4)** आयोग द्वारा प्रकाशित इस शुद्धि पत्र में उल्लेखित संशोधन के अतिरिक्त सहायक प्राध्यापक–2019 हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 02 / 2019 / परीक्षा / दिनांक 18 / 01 / 2019 की शेष शर्तें / कंडिकाएं यथावत रहेगी।

सही / –
lfpo
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
रायपुर